



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1943 (श10)

(सं0 पटना 689) पटना, शुक्रवार, 13 अगस्त 2021

सं०-वन/पर्या०-04/2012/639(ई०)/प०व०
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

12 अगस्त 2021

विभागीय संकल्प संख्या-508(ई.) दिनांक-10.09.2012 द्वारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में दो प्रकार के पौधशालाओं के स्थापना किये जाने का प्रावधान है।

इस योजना अन्तर्गत पौधशालाओं में उगाये गये पौधों की उपयोगिता के दृष्टिपथ में पौधशालाओं में 15X25X200 गेज ट्यूब में पौधें तैयार करने तथा बीस हजार पौधों में से लगभग 30-50 प्रतिशत पौधें समापन वर्ष में ही उपयोग करने एवं अगले वित्तीय वर्ष के मानसून में प्राप्त करने हेतु अवशेष पौधों को एक वर्ष के लिए सुरक्षित/सम्पोषित रखने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार प्रोत्साहन राशि में 50% की वृद्धि की गयी है। किसानों द्वारा अब 15X25X200 गेज ट्यूब में पौधें तैयार करने हेतु लाभूकों को अधिकतम ₹ 19.66 (उन्नीस रुपये छियासठ पैसे मात्र) अर्थात् ₹ 20.00 भुगतान किया जाना है।

तदालोक में विभागीय संकल्प संख्या-508(ई.) दिनांक-10.09.2012 की कंडिका-4.3, 4.4 एवं 6 को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

कंडिका-4.3-निजी पौधशाला में 15X25X200 गेज ट्यूब में पौधें तैयार किये जायेंगे। तैयार किये गये 20 हजार पौधों में से 25-30 प्रतिशत पौधें का उपयोग उसी वर्ष के वृक्षारोपण में कर लिया जायेगा। शेष पौधों को एक वर्ष के लिए सुरक्षित/सम्पोषित रखना होगा, जो अगले वित्तीय वर्ष के मानसून में प्राप्त किये जायेंगे। पौधों की औसत कीमत ₹ 20.00 (बीस रुपये मात्र) का भुगतान तीन किस्तों में क्रमशः प्रथम किस्त रुपये 7/- प्रति पौधा, द्वितीय किस्त रुपये 8/- प्रति पौधा एवं तृतीय किस्त रुपये 5/- प्रति पौधा के रूप में किया जायेगा। इस दर में वास्तविक उत्पादन व्यय, पर्यवेक्षण कार्य की राशि एवं प्रोत्साहन राशि सम्मिलित है। उदाहरण स्वरूप यदि कृषकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में पौधशाला स्थापित किया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के मानसून में 30-50 प्रतिशत पौधें का वृक्षारोपण में उपयोग किया जायेगा तथा शेष पौधें वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसान पौधशाला से प्राप्त कर सीधे वृक्षारोपण में प्रयोग किया जायेगा।

कंडिका-4.4—निजी पौधशालाओं के संचालकों को राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जायेगा। 15X25X200 गेज के ट्यूब में पौधे तैयार करने हेतु ट्यूब भराई के समय प्रथम किस्त के रूप में रुपये 7/- प्रति पौधा का भुगतान किया जायेगा। द्वितीय किस्त रुपये 8/- प्रति पौधा का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा तथा तृतीय किस्त की राशि रुपये 5/- प्रति पौधा का भुगतान पौधों के वास्तविक आपूर्ति के पश्चात अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् द्वितीय किस्त के भुगतान के अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप यदि किसान द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में पौधशाला स्थापित किया जाता है तो प्रथम किस्त की राशि रुपये 7/- प्रति पौधा का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में, द्वितीय किस्त रुपये 8/- प्रति पौधा का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में तथा तृतीय किस्त रुपये 5/- प्रति पौधा का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया जायेगा।

कंडिका-6—आकलित होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01—वानिकी, लघु शीर्ष-101—वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-01 11—जल—जीवन—हरियाली, विपत्र कोड-19-2406011010111 के विषय शीर्ष-02 01—मजदूरी एवं 27 01—लघु कार्य से किया जायेगा।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 689-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>